

कार्यालय नगरपरिषद्, झालावाड़ (राज0)

क्रमांक : न.परि.झा./भू0रू0/2024-25/7057

दिनांक : 24/3/25

::आदेश::

भू-रूपान्तरण शाखा

विषय :- आवासीय योजना के रोके गये 12.5 प्रतिशत भूखण्डों के पट्टे जारी करने बाबत ।

राजस्व ग्राम गोपालपुरा के खसरा नं. 493/200 स्थित प्राईम रेजीडेन्सी आवासीय कॉलोनी में 12.5 प्रतिशत भूखण्ड आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने तक रोके गये थे। आवेदक श्री यदुवेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री भारत सिंह यादव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, फोटोग्राफ्स, चार्टर्ड इन्जीनियर के प्रमाण पत्र, मौका रिपोर्ट एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 05.11.2015 की अनुपालना में गठित स्थानीय निकाय स्तरीय समिति की बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक 7056 दिनांक 24/03/25 द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा रिपोर्ट के आधार पर नगर परिषद्, झालावाड़ द्वारा राजस्व ग्राम गोपालपुरा के खसरा नं. 493/200 स्थित प्राईम रेजीडेन्सी आवासीय कॉलोनी में नगर परिषद् द्वारा रोके गये 12.5 प्रतिशत भूखण्डों को मुक्त/रिलीज करते हुए, उनमें नियमानुसार राशि शुल्क जमा करवा कर भूखण्डों के पट्टे जारी किए जाने की स्वीकृती प्रदान की जाती है।

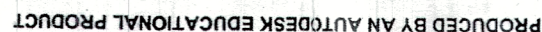
२३

आयुक्त

नगरपरिषद् झालावाड़

आयुक्त

नगर परिषद् झालावाड़



रकम ५०० - श्री सीता ABCD
२००

एव ८५ रुपये के लिये उपस्थित
नगरपालिका कार्यालय
नगरपालिका कार्यालय

सदर सचिव नगरपालिका